

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F1(ई)1(6)अलेसे I / 1041

दिनांक :- 15/12/2017

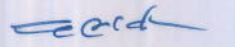
आदेश संख्या : 255/2017-18

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों का स्थानांतरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में तुरंत प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं. (1)	लैंक नम्बर (2)	नाम (सर्वश्री) (3)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (4)	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम (5)	विशेष विवरण (6)
1	3728	सत्यदेव शर्मा [सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम]	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, बीकानेर - 1099	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर - 5046	रिक्त पद पर
2*	4712	प्रभूराम प्रजापत [सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम]	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सिरौही - 20388	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त, वाणिज्यिक कर विभाग, पाली - 29105	रिक्त पद पर
3	5207	सुधीन्द्र पाल सिंह [कनिष्ठ लेखाकार]	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर - 1097	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर - 11278	रिक्त पद पर
4	9284	हरिमोहन मीणा [कनिष्ठ लेखाकार]	न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (सांप्रदायिक दंगे), विधि विभाग, जयपुर - 25215	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर - 353	रिक्त पद पर
5	3440	जय कुमार [कनिष्ठ लेखाकार]	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर - 904	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर - 353	रिक्त पद पर
6	9273	श्रीमती सुनीता मीणा [कनिष्ठ लेखाकार]	कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर - 1288	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर - 7211	रिक्त पद पर

उक्त कार्मिकों के स्थानांतरण लोक - हित में किये जाते हैं।

*अंकित कार्मिकों के स्थानांतरण स्वयं की प्रार्थना पर किये गए हैं। अतः इन्हें यात्रा भत्ता एवं योग काल देय नहीं होगा।



(बलवीर सिंह गोठवाल)

अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर ।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें ।
3. कोषाधिकारी.....
4. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई -मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये ।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II / कार्मिक III) कार्यालय हाजा ।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित/निजी पत्रावली ।


(प्रदीप माथुर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)